राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 658/2023

जीयालाल –अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) झुन्झुनूं, राजस्थान।
3. प्रबंधक, राजस्व विभाग, अजमेर।
4. श्री धर्मेन्द्र मीणा, पटवारी पी.एम., तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजपाल धनखड, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है अपीलार्थी पटवारी के पद पर प.मं. झुंझुनू तहसील झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प.मं. आबूसर तहसील झुंझुनूं में किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण अपीलापर्थी के स्थान पर किया गया। इससे सात माह पूर्व अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.06.2022 (अनुलग्नक–3) के अनुसार 15.06.2022 के द्वारा प.मं. प्रतापपुरा तहसील झुंझुनू से वर्तमान पदस्थापन स्थान प.मं. झुंझुनू तहसील झुन्झुनूं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 05.05.1989 तथा 30.10.1993 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निर्देश जारी किए की पटवारियों के तहसील से दूसरी तहसील में अथवा एक हल्के से दूसरे हल्के में दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण नहीं किए जावें एवं दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो पूर्ण औचित्य बतलाते हुए संभागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण किये जावें। अतः आलौच्य आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प.मं. झुंझुनू तहसील झुन्झुनूं से प.मं. आबूसर तहसील झुंझुनूं किया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या संख्या 4 का प.मं. आबूसर तहसील झुंझुनूं से प.मं. झुंझुनू तहसील झुन्झुनूं किया गया जहां पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांक 20.01.2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश की पालना हो चुकी है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक तहसील से दूसरी तहसील में नहीं किया गया बल्कि एक ही तहसील में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन से प.मं. आबूसर तहसील झुंझुनूं के बीच की दूरी मात्र 2 कि.मी. है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाए।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अनुशीलन कर मनन किया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। जबकि आलोच्य आदेश द्वारा उसी जिले में स्थानान्तरण किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)